

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

14 DEC 2015

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक

::आदेश::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	सूर्य प्रकाश पुरोहित	07.07.1956	31.07.2016
2.	पीयूष पारीक	20.09.1956	30.09.2016
3.	विक्रम प्रकाश शर्मा	12.12.1956	31.12.2016
4.	पुष्पा सुहालका	12.06.1956	30.06.2016
5.	भागीरथ राजपुरोहित	01.08.1956	31.07.2016
6.	रामनिवास शर्मा	30.05.1956	31.05.2016

उप विधि परामर्शी


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	डॉ. आशा गोयल	31.12.1956	31.12.2016
2.	नेमीचन्द भादाणी	11.07.1956	31.07.2016

सहायक विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	मनोहर लाल(प्रथम)	14.01.1956	31.01.2016
2.	भगवान सहाय कुमावत	02.05.1956	31.05.2016


यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-15 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(अनिल कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव  
11/12/15